2022 का विधेयक सं. 7

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2022 (जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 1999 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधप्र (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।
 - (2) यह त्रन्त प्रवृत होगा।
- 2. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 22 की धारा 14 का संशोधन.- राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम सं. 22) की धारा 14 में,-
- (i) विद्यमान उपबंध को उप-धारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जायेगा; और
- (ii) इस प्रकार संख्यांकित उप-धारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित नयी उप-धाराएं जोड़ी जायेंगी, अर्थात:-
 - "(2) अधिनियम की अनुसूची में उपवर्णित परिनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, कोई भी व्यक्ति कुलपति का पद दो पदाविधयों से अधिक के लिए अथवा सत्तर वर्ष से अधिक आयु होने पर, जो भी पहले हो, धारित नहीं करेगा।
 - (3) अधिनियम की अनुसूची में उपवर्णित परिनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, कुल-सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा या राजस्थान प्रशासनिक सेवा (सुपर टाइम स्केल से अनिम्न) के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर की जायेगी।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उपबंध करने हेतु 1999 में राज्य विधान-मण्डल द्वारा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 1999 अधिनियमित किया गया था।

कुलपति की नियुक्ति और शक्तियों से संबंधित विद्यमान परिनियम कुलपति की नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा का तो उपबंध करता है किन्तु इसमें कुलपति की पदावधि की संख्या पर कोई अधिकतम सीमा विद्यमान नहीं है। कुलपति की पदावधि की संख्या पर अधिकतम सीमा का उपबंध करने के लिए राज्य सरकार ने उसके परिनियम को संशोधित करने की शक्ति को आरक्षित करने का विनिश्चय किया है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार का यह मानना है कि विश्वविद्यालय के साथ बेहतर समन्वय के लिए विश्वविद्यालय के कुल-सचिव की नियुक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा या राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों में से की जानी चाहिए।

तदनुसार, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 1999 की विद्यमान धारा 14 संशोधित की जानी प्रस्तावित है। यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है। अत: विधेयक प्रस्त्त है।

> राजेंद्र सिंह यादव, प्रभारी मंत्री।

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 1999 (1999 का अधिनियम सं. 22) से लिये गये उद्धरण

XX	XX	XX	XX	XX		
	0.0		0.0	عے ح		

- **14. विश्वविद्यालय के अधिकारी.-** विश्वविद्यालय के अधिकारी निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:-
 - (क) कुलपति;
 - (ख) कुल-सचिव;
 - (ग) वित्त अधिकारी;
 - (घ) परीक्षा-नियंत्रक; और
- (ङ) ऐसे अन्य अधिकारी जो विनियमों द्वारा विहित किये जायें। XX XX XX XX XX

(Authorised English Translation)

THE NATIONAL LAW UNIVERSITY, JODHPUR (AMENDMENT) BILL, 2022

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

 \boldsymbol{A}

Bill

further to amend the National Law University, Jodhpur Act, 1999.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventythird Year of the Republic of India, as follows:-

- **1. Short title and commencement.-** (1) This Act may be called the National Law University, Jodhpur (Amendment) Act, 2022.
 - (2) It shall come into force at once.
- **2.** Amendment of section 14, Rajasthan Act No. 22 of 1999.-In section 14 of the National Law University, Jodhpur Act, 1999 (Act No. 22 of 1999),-
- (i) the existing provision shall be numbered as sub-section (1); and
- (ii) after sub-section (1), so numbered, the following new sub-sections shall be added, namely:-
 - "(2) Notwithstanding anything contained in the Statutes set out in the SCHEDULE to the Act, no person shall hold the office of the Vice-Chancellor for more than two terms or beyond the age of seventy years, whichever is earlier.
 - (3) Notwithstanding anything contained in the Statutes set out in the SCHEDULE to the Act, the Registrar shall be appointed by the State Government on deputation from amongst the officers of the Indian Administrative Service or the Rajasthan Administrative Service (not below super time scale)."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The National Law University, Jodhpur Act, 1999 was enacted by the State Legislature in 1999 providing for establishment of the National Law University in the State of Rajasthan.

The existing Statute regarding the appointment and powers of the Vice-Chancellor provides for upper age limit for appointment of Vice-Chancellor but there exists no cap on the number of terms of office of Vice-Chancellor. In order to provide cap on the number of terms of office of Vice-Chancellor, the State Government has decided to reserve the power of amending the Statute thereof. Further, the State Government feels that the Registrar of the University should be appointed from amongst the officers of the Indian Administrative Service or the Rajasthan Administrative Service for better coordination with the University.

Accordingly, the existing section 14 of the National Law University, Jodhpur Act, 1999 is proposed to be amended.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

राजेंद्र सिंह यादव, Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE NATIONAL LAW UNIVERSITY, JODHPUR ACT, 1999

(Act No. 22 of 1999)

XX	XX		XX		XX		XX		
officer	14. Officers s of the Univer		University mely:-	The	following	shall	be	the	
	(a) the Vice-Chancellor,								
(b) the Registrar,									
	(c) the Finance Officer,								
	(d) the Controller of Examinations, and								
	(e) such other officers as may be prescribed by regulations.								
XX	XX		XX		XX			XX	

THE NATIONAL LAW UNIVERSITY, JODHPUR (AMENDMENT) BILL, 2022

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

1	4
B	ill
further to amend the National La	w University, Jodhpur Act, 1999.
(To be introduced in the Raja	asthan Legislative Assembly)
	Ç ,,
M	AHAVEER PRASAD SHARMA, Secretary.
	Secretary.

(Rajendra Singh Yadav, Minister-Incharge)

<u>2022 का विधेयक सं. 7</u>

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2022

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा) राजस्थान विधान सभा

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 1999 को और संशोधित करने के लिए विधेयक ।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

महावीर प्रसाद शर्मा, सचिव। (राजेंद्र सिंह यादव, प्रभारी मंत्री)